Regarding need to pay maturity amount to the farmers and labourers of West Singbhum district, Jharkhand under Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana ? laid

श्रीमती गीता कोडा **(सिंहभूम):** केंद्र सरकार द्वारा सीमांत किसान एवं मजदूरो के आर्थिक लाभ एवं उनका जीवन सुधारने के उदेश्य से एक महत्वकांक्षी योजना कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना LIC के माध्यम से चलाई गई थी। इस योजना में किसान एवं श्रमिकों का 1 रुपया प्रति दिन तथा 2 रुपया केंद्र सरकार की ओर से बीमा के रूप में दिया जाना था जिसमे पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत नोवामुंडी ब्लॉक के क्षेत्र में सूचीबद्ध कर योजना चलाई गई थी। योजना के तहत 2002 में 750 सदस्यों से 1 रुपया प्रतिदिन अंशदान के रूप में वर्ष 2012 तक लिया गया। वर्ष 2012 में प्रिमियम लेना बंद कर दिया गया तथा योजना बंद होने के बाद कई समूहों को 10 साल के maturity Amount का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है। 11 समूह का भुगतान अब तक नहीं किया गया। सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि पश्चिम सिंहभूम के नोवामुंडी ब्लॉक आसपास के कृषक एवं श्रमिक समूह के साथ राज्य एवं अन्य राज्य में इस योजना के लाभार्थियों को शीघ्र Maturity Amount भुगतान किया जाए जिससे इस योजना के उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।